न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी –संजय शर्मा

जी.सी.एम.एस. संख्या :–2024/61

प्रार्थना पत्र संख्या 14/2024 तारीख रजू 22.02.2024

1. रामहेत पुत्र श्री धन्नालाल गुर्जर निवासी ग्राम नरोडा (जयलालपुरा) तहत तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर

..........प्रार्थी

बनाम

1. बृजमोहन पुत्र श्री मोतीलाल खटीक निवासी ग्राम पाली तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर (राजस्थान)
2. आवंटन कमेटी जरिये एसडीओ सवाई माधोपुर।

..........अप्रार्थीगण

उपस्थित – श्री गिर्राज सिंह गुर्जर एडवोकेट – प्रार्थी की ओर से
श्री भंवर सिंह जादौन एडवोकेट – अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से

निर्णय दिनांक 08.04.2026

राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियम 14 (4) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रार्थी रामहेत पुत्र श्री धन्नालाल गुर्जर निवासी ग्राम गरोडा (जयलालपुरा) तहसील खण्डार द्वारा अप्रार्थी संख्या–1 बृजमोहन पुत्र श्री मोतीलाल खटीक निवासी ग्राम पाली तहसील खण्डार के विरूद्ध प्रस्तुत किया है जिसके द्वारा दिनांक 1.2.91 को अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में ग्राम पाली की भूमि ख0नं0 81/2 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा का आवंटन निरस्त करने हेतु पेश किया गया।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गयी। अप्रार्थी जरिये वकील उपस्थित हुए। अदालत मातहत की मूल आवंटन पत्रावली प्राप्त हुई। प्रकरण में बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि अप्रार्थी को आवंटन करने से पूर्व कानूनी प्रावधानों का सही रूप से अवलोकन नहीं किया गया है एवं गलत प्रकार से आवंटन किया गया है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। अप्रार्थी को आवंटन करने से पूर्व आवंटन कमेटी द्वारा ख0नं0 81/2 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर मौके पर कब्जा काश्त होना आवश्यक था जबकि उक्त आराजियात पर प्रार्थी वर्षों

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.05.12 16:13:19 IST
Reason: SelfAttested

अति० जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

पूर्व से कब्जा काश्त करता चला आ रहा है, जिसका रिकार्ड राजस्व रिकार्ड की गिरदावरी में अपीलान्ट एवं उसके पिता मृतक धन्नालाल पुत्र बजरंगा गुर्जर निवासी नरोडा (जयलालपुरा) का नाम अंकित है। इस बात का ध्यान आवंटन कमेटी को नहीं दिया एवं बिना कब्जा काश्त के रेस्पोडेन्ट को आवंटन की गई है जो निरस्त किये जाना आवश्यक है। आवंटन कमेटी ने इस बात का भी ध्यान नहीं दिया कि जिस किसी भी आवंटन किया जाता है, उक्त आराजियात पर 10 वर्षों से अधिक का कब्जा काश्त होना जरूरी था जो अप्रार्थी का ख0नं0 81/2 में से रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा भूमि आवंटन की थी, बिना कब्जा काश्त के आवंटन की भी एवं आवंटी बृजमोहन खटीक उक्त आराजियात पर आज तक भी कोई कब्जा काश्त नहीं है। ना ही पूर्व में उक्त आराजियात पर कब्जा काश्त है, जबकि प्रार्थी उक्त आराजी पर कब्जा काश्त एवं अभी भी फसल बो रखी है। इस प्रकार आवंटन कमेटी द्वारा अप्रार्थी को आवंटन किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त आराजियात पर प्रार्थी के पिता धन्नालाल की काफी वर्षो से काश्त है जिसकी सत्यता राजस्व रिकार्ड की गिरदावरी से साबित होती है एवं अपीलांट के पिता ही काश्त करते चले आ रहे हैं, जबकि रेस्पोडेन्ट ने उक्त आराजी पर कोई काश्त नहीं की है एवं आवंटन कमेटी से गुपचुप तरीके से मिलकर अपने पक्ष में ख0नं0 81/2 में से 4 बीघा 10 बिस्वा भूमि आवंटन करा ली गई जो निरस्त किये जाने योग्य है। हल्का पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में प्रार्थी के पिता धन्नालाल गुर्जर का कब्जा काश्त बताया गया है। आज भी प्रार्थी विवादित आराजीयात पर काश्त करता चला आ रहा है, इस बाबत अप्रार्थी ने पंचनामा भी प्रार्थी के पक्ष में लिखा था। प्रार्थी को आंवटन कमेटी द्वारा आवंटन कार्यवाही की जानकारी दिनांक 15.2.24 को हुई, जिस पर प्रार्थी द्वारा दिनांक 15.2.24 को नकल निर्णय प्राप्त करने हेतु प्रा0पत्र पेश किया जिस पर नकल प्राप्त होने पर जानकारी की दिनांक से यह अन्दर मियाद पेश की गई है, फिर भी दफा 5 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रा0 पत्र मय शपथ पत्र साथ में पेश किया गया है। अन्त में वकील प्रार्थी द्वारा आवंटन सलाहकार समिति के द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 01.02.91 को निरस्त फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

वकील अप्रार्थीगण ने वकील प्रार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए लिखित बहस पेश कर कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 81/2 रकवा 4 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम पाली तहसील खंडार जिला सवाई माधोपुर बृजमोहन पुत्र मोतीलाल जाति खटीक निवासी ग्राम पाली तहसील खंडार जिला सवाई माधोपुर के कब्जे काश्त व खातेदारी की कृषि भूमि है जिस पर बृजमोहन का कब्जा काश्त है। रेस्पोडेन्ट नम्बर दो ने दिनाक 1.2.1991 को रेस्पोडेन्ट नम्बर एक के भूमिहीन होने व अनुसूचित जाति का व्यक्ति होने के कारण राजस्थान भू०राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवटंन) नियम 1970 के नियमानुसार आवंटित की थी तथा नियमानुसार हल्का पटवारी व भू० अभिलेख नि० ग्राम पाली ने दिनाक 7.9.1994 को उपरोक्त कृषि भूमि का नजरी नक्शा मे तरमीम कर दिया गया था जिसकी पालना की गयी था तथा नियमानुसार दिनांक 7.9.1994 को कब्जा रिपोर्ट मौके पर तैयार की थी तथा मौके पर ही रूबरू गवाह तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.05.12 16:13:19 IST
Reason: SelfAttested

अति० जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

हल्का पटवारी व भू०अभि०नि० ग्राम पाली ने कब्जा रिपोर्ट मौके पर तैयार कर मौके पर हस्ताक्षर किये थे तथा असल कब्जा रिपोर्ट दिनाक 7.9.1994 रेस्पोडेन्ट नम्बर एक को सोप दी थी। उपरोक्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 81/2 रकवा 4 बीघा 10 बिस्वा के आवंटन दिनाक 1.2.1991 से लेकर आज दिन तक उपरोक्त कृषि भूमि पर बृजमोहन खटीक का कब्जा काश्त है। रेस्पोडेन्ट नम्बर एक अनुसूचित जाति का गरीब व्यक्ति है। जिसका गाँव में अकेला घर है तथा अपीलांट एक बदमाश किस्म का भू माफिया व्यक्ति है जिसके गाँव मे लगभग सौ दौ सो घर है जो लठ के जोर से रेस्पोडेन्ट नम्बर एक की कृषि भूमि को हडपना चाहता है तथा अपीलांट के द्वारा दिनाक 28.5.2023 को रेस्पोडेन्ट नम्बर एक को उपरोक्त कृषि भूमि को संभालने जाने पर जान से मारने की धमकी दी थी तथा जबरन लठ के बल पर बेदखल करने की धमकी दी थी जिसके कारण रेस्पोडेन्ट नम्बर एक बृजमोहन ने अपीलांट रामहेत के खिलाफ माननीय उपजिला कलेक्टर महोदय खंडार के समक्ष दिनाक 19.6.2023 को स्थाई निषेधाज्ञा का वादपत्र पेश किया था जो वर्तमान मे न्यायालय उपजिला कलेक्टर महोदय खंडार के समक्ष विचाराधीन है। उपरोक्त वादपत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि की फोटोकोपी जबाव के साथ प्रस्तुत है। उपरोक्त वादपत्र अपीलांट के खिलाफ दिनाक 19.6.2023 को पेश करने के बाद झूठे तथ्यों के आधार पर लगभग आठ माह बाद उपरोक्त अपील अपने बचाव मे मियाद बाहर अलोटमेन्ट के लगभग 33 वर्षो बाद पेश की है जो खारिज किये जाने योग्य है। अपीलांट ने उपरोक्त अपील आवंटन दिनाक 1.2.1991 के लगभग 33 वर्ष बाद मियाद बाहर अपील पेश की तथा अपील 33 वर्ष देरी से क्यो पेश की गयी है उसका कोई न्यायोचित कारण अपीलांट ने अपील मे नही लिखा है उपरोक्त अपील मियाद बाहर होने के कारण पोषणीय नही है जिसके कारण अपील मियाद बाहर होने के कारण प्रथम द्रष्टया खारिज किये जाने योग्य है। अन्त में अप्रार्थी सं0 1 ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने एवं अप्रार्थीगण द्वारा पेश की गई लिखित बहस, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं अध्ययन करने के पश्चात् मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि आवंटन सलाहकार समिति की अनुशंषा पर अप्रार्थी संख्या 1 बृजमोहन पुत्र मोतीलाल जाति खटीक निवासी ग्राम पाली तहसील खंडार जिला सवाई माधोपुर को आराजी खसरा नम्बर 81/2 रकवा 4 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम पाली में आदेश दिनांक 01/02/1991 के द्वारा भूमि आवंटित की गई थी। उक्त आवंटनशुदा आराजी ख0नं0 81/2 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा का आवंटन निरस्त करने हेतु प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियम 14 (4) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया जाता है कि मूल आवंटन पत्रावली के [illegible] न्यायालय हाजा का पूर्व मु0नं0 200/91 निर्णय दिनांक 22.07.94 एवं न्यायालय [illegible] सवाई माधोपुर का मु0नु0 31/99 निर्णय दिनांक 04.06.99 [illegible] है कि उक्त प्रकरणों में प्रार्थी/अपीलांट सख्या 2 पर रामहेत पुत्र धन्ना लाल गूर्जर निवासी ग्राम नरोडा (जैलालपुरा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.05.12 16:13:19 IST
Reason: SelfAttested

अति० जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

तहसील खण्डार का नाम अंकित है। जबकि प्रार्थी द्वारा न्यायालय हाजा में पेश किये गये उक्त प्रार्थना पत्र के साथ पेश किये गये दफा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पर उक्त आवंटन की जानकारी 15.2.2024 में होना बतलाया है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा न्यायालय से जानबूझकर तथ्यों को छुपाते हुए यह दफा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो कि स्वीकार योग्य नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दफा 5 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रा0 पत्र खारिज किया जाता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियम 14 (4) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 08.04.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.05.12 16:13:19 IST
Reason: SelfAttested